न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री भँवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

अपील संख्याः 79/2016 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2018/00148

जेठाराम पुत्र आसूराम जाति जाट निवासी नोखा गांव तहसील नोखा जिला बीकानेर।

अपीलान्ट

बनाम

सवाईसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी नोखा गांव तहसील नोखा जिला बीकानेर।

रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री लक्ष्मीनारायण – अभिभाषक अपीलांट
श्री सीताराम – अभिभाषक रेस्पोडेंट

निर्णय

दिनांकः 21.12.2021

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय दिनांक 28.04.2016 के विरुध्द प्रस्तुत हुई है ।

1– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नोखा गांव तहसील नोखा जिला बीकानेर स्थित खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नं. 264 तादादी 1.93 हैक्टेयर, खसरा नं. 265 तादादी 0.79 हैक्टेयर कुल किता 2 तादादी 2.72 हैक्टेयर श्री सवाईसिंह रेस्पोडेंट के नाम से है। रेस्पोडेंट ने एक प्रार्थना पत्र उप खण्ड अधिकारी, नोखा के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त खेत का सीमाज्ञान/निशानदेही करवा कर पत्थरगढी करवाने हेतु अन्तर्गत धारा 110 व 111 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया, जिसमें उपखण्ड अधिकारी नोखा द्वारा पूर्व में टीम गठित करके रेस्पोडेंट सवाईसिंह को उसके उक्त खेत का सीमाज्ञान दिनांक 09.08.2014 को करवा दिया गया था, परन्तु मौके पर निशानदेही व तारबंदी को पड़ौसी द्वारा मिटाये जाने का कथन करते हुए पुनः सीमाज्ञान/निशानदेही एवं पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन करने पर उप खण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर मौके पर दोनों पक्षों की मौजूदगी में तहसीलदार नोखा, हल्का

21.12.21
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गिरदावर व पटवारी को पावन्द किया गया एवं पुलिस इमदाद मुहैया करवाने के आदेश दिये गये। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी अपील में अवगत कराया कि पत्थरगढ़ी के आदेश उपखण्ड अधिकारी नोखा द्वारा अपीलांट को बिना सुने पारित किये, जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट सवाई सिंह ने अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.04.2016 को इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि रेस्पोडेन्ट का खातेदारी खेत ख. नं. 264 तादादी 1.93 हैक्टेयर, खं नं. 265 तादादी 0.79 हैक्टेयर किता 2 कुल तादादी 2.72 हैक्टेयर वाके रोही नोखा गांव की सीमा पड़ोसी खातेदारान जेठाराम वगैरह से लगती है जो बार–बार तोड़ने से सवाई सिंह पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। उक्त बाबत माननीय न्यायालय द्वारा गठित टीम से सीमा ज्ञान करवाया गया था जिसे पड़ोसी खातेदारान मिटा देते है, जिसके कारण रेस्पोडेन्ट तारबन्दी कराना चाहता है। इसलिये न्यायहित मे उक्त भूमि के चारों ओर पत्थरगढ़ी राजस्व अमला माल की टीम व पुलिस इमदाद थाने के मार्फत करवायी जाने का निवेदन किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने उसी दिन दिनांक 28.04.2016 को स्वीकार कर लिया। अपीलाधीन निर्णय अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिए एकतरफा तौर पर पारित किया हैं जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत व न्यायोचित नहीं होने के कारण निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.04.2016 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थी का खातेदारी खेत ख.नं. 264 में 1.93 हैक्ट., खं नं. 265 में 0.79 हैक्ट. कुल तादादी 2.72 हैक्ट. वाके रोही नोखा गांव के सीमा पड़ोसी खातेदार जेठाराम वगैरह से लगती है जो बार–बार तोड़ने से परेशान होकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं जिस पर उपखण्ड अधिकारी नोखा ने दिनांक 09.08.2014 को टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाया गया था। दिनांक 28.04.2016 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, जो जेठाराम वगैरह को बिना सुने एकतरफा तौर से पारित किया गया, जो निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र धारा 11 एलआर एक्ट 1956 के तहत पेश किया जाता है, जो धारा 128 एलआरएक्ट 1956 के तहत दर्ज कर व्यथित पक्षकार को पक्षकार बनाकर पूर्ण सुनवाई कर निर्णय किये जाने का प्रावधान हैं जिसकी अपीलाधीन आदेश में पालना नहीं की गई है।

अभिभाषक अपीलांट ने आरआरडी 2018 पेज संख्या 652, आरआरडी 2017 पेज संख्या 279, आरआरटी 2013(2) पेज संख्या 881, आरआरडी 2015 पेज संख्या

21.12.21
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

111 एवं आरआरडी 2015 पेज संख्या 78 पेश कर निवेदन किया है कि अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित बहस के माध्यम से अवगत करवाया है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने अपने खातेदारी भूमि के संबंध में जो सीमाज्ञान तहसीलदार नोखा द्वारा किया गया था उसकी पत्थरगढ़ी करवाने बाबत उपखण्ड अधिकारी नोखा को प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार कर लिया गया। रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि के संबंध में जारी पत्थरगढ़ी आदेश से अपीलांट न तो प्रभावित है, न ही उसके अधिकारों का हनन हुआ है। इसलिए अपीलांट को इस न्यायालय में अपील करने की लोकस स्टेन्डाई नहीं है। अपीलांट ने अपनी अपील में तहसीलदार नोखा द्वारा रिपोर्ट नहीं मंगवाकर निर्णय पारित करने का उल्लेख किया है जबकि सीमाज्ञान तहसीलदार नोखा द्वारा ही किया गया है जिसकी रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। तहसीलदार नोखा की रिपोर्ट के आधार पर ही पत्थरगढ़ी का आदेश दिया गया है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित बहस में उल्लेख किया है कि अपीलांट की लिखित बहस में अंकित आरआरटी 2013(2) पेज संख्या 881 वसीयत के प्रकरण से संबंधित है। अतः आदेश यथावत रखते हुए अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख, उभय पक्ष की लिखित बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। ग्राम नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नं. 264 तादादी 1.93 हैक्टेयर, खसरा नं. 265 तादादी 0.79 हैक्टेयर कुल किता 2 तादादी 2.72 हैक्टेयर श्री सवाईसिंह रेस्पोडेंट के नाम से है। रेस्पोडेंट के प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा तहसीलदार नोखा को सीमाज्ञान का आदेश दिया, जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार नोखा द्वारा सीमाज्ञान करवाया गया, परन्तु सीमा पड़ोसी काश्तकारों द्वारा निशानदेही मिटा देने से परेशान होकर रेस्पोडेन्ट ने पत्थरगढ़ी करवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी नोखा ने स्वीकार करते हुए तहसीलदार नोखा व संबंधित को पत्थरगढ़ी के लिए पाबन्द किया, जिस पर अपीलांट ने आपत्ति व्यक्त करते हुए इस न्यायालय में अपील की है कि अपीलांट को बिना सुने इकतरफा कार्यवाही करते हुए पत्थरगढ़ी के आदेश पारित कर दिए गए। अतः अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 28.04.2016 को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध मानते हुए इस

21.12.21

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नियमानुसार विधिवत आदेश पारित करें।

5– तद्नुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.12.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.12.2021

(भँवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर